न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–312/18

1. इख्तीयान खान उर्फ शेरू भाई पुत्र श्री रहीम खान, आयु.. वर्ष, जाति सिन्धी निवासी ग्राम देताणी, तहसील शिव जिला बाडमेर

––अपीलान्ट

बनाम

1 जिला कलक्टर, जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 21.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 06.08.2018 (प्रकरण संख्या 163/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी दुधारू पशुओं का व्यवसाय करता है तथा उनके द्वारा दुधारू पशु हटवाडे से खरीद कर उन्हे कुछ प्रोफिट लेकर आगे बैचान किया जाता है इस अनुक्रम में अपीलार्थी दिनांक 28.07.2018 को वाहन संख्या आर.जे.–14 –2976 के द्वारा अपनी 12 दुधारू गायों व दो बछडों को पशु हटवाड़ा जयपुर से खरीद कर ग्राम निमोडिया जिला उदयपुर राजस्थान ले जा रहा था, अपीलार्थी का दुधारू पशु भरा वाहन जैसे ही एक्सप्रेस हाईवे होता हुआ ले जा रहा था तो उसी समय पुलिस थाना चन्दवाजी के पुलिस कर्मियों द्वारा अपीलार्थी के दुधारू पशुओं को जप्त कर हिन्गोनिया जयपुर स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा किसी भी गौवंश अधिनियम का कोई उल्लंघन नही किया जा रहा था बल्कि अपनी रोजी–रोटी हेतु दुधारू पशुओ का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष अपने दुधारू पशुओं को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.08.2018 के द्वारा विधि, विधान एवं तथ्यों के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से, किसी भी गौवंश अधिनियम का कोई उल्लघन नही किया गया है, बल्कि पशु हटवाडा जयपुर से अपने दुधारू पशुओं को व्यापार हेतु पशु खरीदकर उदयपुर जिल में ले जा रहा था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर भी गौर नही कर उक्त अपीलीय आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट के दुधारू पशुओं के "रवन्ना" हेतु नगर निगम द्वारा नियमानुसार रसीद भी जारी की गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रसीद पर भी कोई गौर नही कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी हिन्दू समाज से है तथा गायों को किसी प्रकार से गलत हाथों में बैचान नही करता है बल्कि अपीलार्थी का यह पुश्तैनी धन्धा है, यदि अपीलार्थी द्वारा किसी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकार से गलत काम किया जाता तो अपीलार्थी का कोई पूर्व का अपराधिक रिकार्ड भी होता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर भी कोई गौर नही कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है, अपीलार्थी उक्त पशुओं का सद्भावी क्रेता है तथा उक्त समस्त पशुओं को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी भी है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नगर निगम द्वारा जारी रसीद में सहवन से अपीलार्थी का नाम शेरू भाई दर्ज हुआ है तथा अपीलार्थी को इख्तियार व शेरू भाई दोनों ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता है, उक्त शेरू भाई व इख्तियार एक ही व्यक्ति अर्थात अपीलार्थी के स्वयं के नाम है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2018 को अपास्त फरमाकर अपीलार्थी के समस्त दुधारू पशुओं को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें, अपीलार्थी नियमानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार एवं तत्पर है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतया नगर निगम जयपुर की रवन्ना शुल्क रसीद संख्या 8365 दिनांक 28.07.18 में पशुओं के खरीददार का नाम शेरू भाई गांव निमडिया जिला उदयपुर अंकित है जबकि अपीलार्थी के आधार कार्ड संख्या 7725 9696 6756 में नाम इख्तीयार खान पुत्र रहीम खान देताणी, बाड़मेर अंकित है, द्वितीय अपीलार्थी ने अपनी अपील में उक्त पशुओं को खरीदकर ग्राम निमेडिया जिला जयपुर राजस्थान ले जा रहा कथन किया है जबकि वक्त जप्ति चालक द्वारा उक्त पशुओं को राजस्थान से बाहर बिना परमिट व लाईसेन्स के बचने ले जाने का कथन किया है, एवं अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत राणासर का इख्तीयार उर्फ शेरू भाई पुत्र रहीम खॉ जाति मुसलमान (सिन्धी) निवासी देताणी एक ही व्यक्ति के दो नाम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है लेकिन अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी सरकारी दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2018 में किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2018 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।